मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या- ७१/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं. ४५५/२०१७)
श्रीमती राम कली बनाम अक्षय कुमार आदि
<u>२८.०९.२०२०</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थिया/याचिया श्रीमती रामकली द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १३.११.२०१९ को एवार्ड पारित किया गया जिसके अनुपालन में विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा चेक नं. ८८९५९१ दिनाँकित २१.०१.२०२० मुब. २,३५,४०४/-रु. जमा की गयी है जिसकी धनराशि वह प्राप्त करने की अधिकाकरिणी है। अतः प्रार्थया ने प्रार्थना की है कि उक्त धनराशि उसे दिलाए जाने के आदेश पारित करने की कृपा की जाय। प्रार्थिया ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२ व अपने निर्वाचक पहचान पत्र, आधार कार्ड, चेक की छाया प्रति व बैंक खाते की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

प्रार्थिया न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थिया के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. ४५५/२०१७ श्रीमती रामकली बनाम अक्षय कुमार आदि की पत्रावली व प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया ने अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र व अपने बैंक के खाते की पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। दाखिल शपथपत्र मे प्रार्थिया ने यह भी कथन किया है कि उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है न ही विचाराधीन है। उक्त मूल याचिका की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत याचिका में दिनाँक १३.११.२०१९ को न्यायाधिकरण द्वारा २,०४,५००/- रु. का एवार्ड मय ७ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पारित हुआ है तथा याचिया को एवार्ड की उक्त धनराशि नकद दिया जाना है। कार्यालय आख्या के अनुसार चेक रजिस्टर के क्रमांक ५२ पर मुब. २,३५,४०४/- रु. दिनाँक २६.०२.२०२० को पी.एन.बी. शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा होने का इन्द्राज है। अतः मेरे विचार से न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में जमाशुदा एवार्ड की धनराशि मुब. २,०४,५००/- रु. मय ७ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज प्रार्थिया के बैंक खातों में जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट स्थानान्तरित किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ४५५/ २०१७ (प्रकीर्ण वाद सं. ७१/२०२० श्रीमती रामकली बनाम अक्षय कुमार आदि) के प्रकरण में जमा क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थिया को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	**Amount in ₹**	**+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount**	**Mode of Disbursment**	**Bank Account Number**	**Bank**	**IFSC Code**
Smt Ramkali	235404	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	34032918635	SBI Nagra, Jhansi	SBIN0012866
Total	235404	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.07 15:10:54 IST
Reason: PRESIDING OFFICER
Location: MACT JHANSI